


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
 क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/ दिनांक :

आदेश

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर स्तर से जारी विभिन्न आदेशों के द्वारा निम्नलिखित कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया है। किन्तु संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया है कि इन कार्मिकों के नवीन स्थानान्तरित पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक एवं पदनाम	आदेश/दिनांक (क्र.सं.)	स्थानान्तरणाधीन
1	रेणु जिन्दल फार्मासिस्ट	89/05.10.18 (40)	जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़ से ईएसआई डिस्पें. न. 2 श्रीगंगानगर।
2	पूजा फार्मासिस्ट	89/05.10.18 (64)	सा.स्वा.केन्द्र, सरदारशहर चुरु से प्रा.स्वा.के. नौरंगदेसर हनुमानगढ़।
3	प्रमोद कुमार, फार्मासिस्ट	89/05.10.18 (68)	प्रा.स्वा.केन्द्र, सेरुणा, बीकानेर से प्रा.स्वा.केन्द्र, नौरंगदेसर, हनुमानगढ़।
4	धर्मराज मीणा नर्स-द्वितीय	83/05.10.18 (389)	महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाडा से प्रा.स्वा.केन्द्र, इटुन्दा भीलवाडा।
5	योगेन्द्र सिंह तवर लैब टेक्नी.	597/29.06.18 (167)	जे.के.लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा से सा.स्वा.के. टोडाभीम करौली।
6	रश्मि शर्मा म.स्वा.कार्य	89/05.10.18 (86)	प्रा.स्वा.केन्द्र, बरेह, धौलपुर से प्रा.स्वा.के. तसीमो धौलपुर

अतः निर्वाचन विभाग के पत्रांक एफ.3(1)(9)A/निर्वा/2018/7564 दिनांक 13.10.2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना में उक्त कार्मिकों के स्थानान्तरण एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं। फलस्वरूप उक्त कार्मिक अपने पूर्व पदस्थापन पर कार्य करेंगे।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/ 983

दिनांक : 04-12-2018

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय।
3. संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ।
4. संबंधित अधीक्षक, सलग्न चिकित्सालय, समूह।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
7. संबंधित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी उपस्थिति पूर्व पदस्थापन स्थान पर प्रस्तुत करें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर